भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *278

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर का किफायती उपचार

***278. श्री एम. के. राघवन:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में कैंसर के उपचार को आम आदमी के लिए किफायती बनाने हेतु कोई योजना लाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में कैंसर के विभिन्न प्रकार, आयु वर्ग और इनके होने के संबंध में कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश भर के सभी जिला अस्पतालों को जानलेवा बीमारियों के उपचार की सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने केरल में सरकारी अस्पतालों में अवसंरचना की कमी पाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) देश भर में वरिष्ठ नागरिकों का सभी रोगों का नि:शुल्क उपचार सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 09 अगस्त, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *278 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

(क) कैंसर रोगियों का उपचार मेडिकल कॉलेजों, विभिन्न एम्स संस्थानों आदि सहित स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी प्रणाली में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार ने "कैंसर के विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण" योजना के तहत 39 विशिष्ट परिचर्या संस्थानों (19 राज्य कैंसर संस्थान और 20 कैंसर के विशिष्ट परिचर्या केंद्र) की स्थापना का अनुमोदन दिया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत सभी नए एम्स और कई उन्नत मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में ऑनकोलॉजी पर विशेष बल दिया गया है। झज्जर (हरियाणा) में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के दूसरे परिसर की स्थापना भी इस दिशा में उठाए गए कदम हैं। इसके अतिरिक्त, परमाणु ऊर्जा विभाग ने खारघर, वाराणसी (दो), गुवाहाटी, संगरूर, मुल्लांपुर, विशाखापट्टनम, चंडीगढ़ और मुजफ्फरपुर में कैंसर केन्द्र स्थापित किए हैं। मुंबई में टाटा मेमोरियल अस्पताल भी कैंसर परिचर्या संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

असम राज्य ने मानकीकृत और किफायती कैंसर परिचर्या प्रदान करने के लिए तीन स्तरों में विभाजित कैंसर परिचर्या मॉडल को कार्यान्वित किया है।

सरकारी अस्पतालों में उपचार या तो नि:शुल्क है अथवा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त है।

औषध विभाग ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूची-I में शामिल 131 कैंसर-रोधी अनुसूचित फार्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, एनपीपीए ने 42 चुनिंदा कैंसर-रोधी गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा निर्धारित की है।

इसके अतिरिक्त, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य परिचर्या और उपचार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की विभिन्न स्कीमें हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत कैंसर का उपचार उपलब्ध है, 55 करोड़ से अधिक गरीब और जरूरतमंद लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती किये जाने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने नैदानिक परीक्षणों को शामिल करने का अनुमोदन किया है जो

कैंसर के पुष्ट मामलों में इसके चरणों और उपचार योजना के लिए उपयोगी हैं। शुरू किए गए नैदानिक पैकेज स्तन, सर्वाइकल और मुख कैंसर के संबंध में हैं।

ii. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) योजना को किफायती कीमतों पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) के रूप में जाना जाने वाला समर्पित आउटलेट स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था। दिनांक 30 जून 2024 की स्थिति के अनुसार, देश में 12,616 पीएमबीजेके हैं। पीएमबीजेपी के तहत, 2047 प्रकार की दवाओं और 300 सर्जिकल उपकरणों को इस योजना के दायरे में लाया गया है, जिनमें से 83 उत्पाद कैंसर के उपचार से संबंधित हैं।

iii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल "उपचार के लिए किफायती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण" (एएमआरआईटी), के तहत कैंसर, हृदयवाहिका रोग और अन्य बीमारियों के उपचार के लिए सस्ती दवाएं प्रदान की जाती हैं। दिनांक 15.07.2024 तक 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित 210 अमृत फार्मेसियां हैं, जो कैंसर सहित 5,200 से अधिक दवाओं को पर्याप्त छूट पर बेच रही हैं।

(ख) राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एनसीआरपी) का संचालन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अंतर्गत एनसीडीआईआर (राष्ट्रीय रोग सूचना एवं अनुसंधान केन्द्र), बेंगलुरू द्वारा किया जाता है। यह कैंसर की घटनाओं, मृत्यु-दर, पैटर्न, प्रवृत्ति और कैंसर के भू-रोगात्मक वैज्ञानिक वितरण के संबंध में डेटा प्रदान करता है। आईसीएमआर-एनसीआरपी के डेटा के अनुसार, देश में वर्ष 2023 के दौरान सभी आयु वर्गों में विभिन्न प्रकार के कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या 14,96,972 है। कैंसर के आंकड़ों के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट https://ncdirindia.org/Publications.aspx पर उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार प्रमुख गैर संचारी रोगों (उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग, आघात, पुराने किडनी रोग, सीओपीडी/अस्थमा, गैर-अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग, तीन सामान्य कैंसर (मुख, सर्वाइकल और स्तन)) की रोकथाम और नियंत्रण के उद्देश्य से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) को कार्यान्वित करती है। कार्यक्रम का फोकस इस प्रकार है:

i. अवसंरचना सुदृढ़ीकरण
ii. मानव संसाधन विकास
iii. स्वास्थ्य संवर्धन
iv. आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 30 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी की सामान्य एनसीडी यानी मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सामान्य कैंसर (मुख, स्तन और सर्वाइकल) की स्क्रीनिंग
v. सही समय पर निदान और प्रबंधन

vi. उपयुक्त स्तर के स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्र को रेफरल

एनपी-एनसीडी के तहत 753 जिला अस्पतालों और 6238 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चिन्हित जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी के लिए 356 जिला दिवस परिचर्या केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

केरल राज्य में, सरकारी मेडिकल कालेज, कोझीकोड (टीसीसीसी) और क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम (एससीआई) अनुमोदित हैं और कार्यशील हैं।

वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु वाले) को प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या के विभिन्न स्तरों पर समर्पित स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए " राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम" (एनपीएचसीई) शुरू और कार्यान्वित किया गया है। ये स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र वरिष्ठ नागरिकों को निवारक, प्रोत्साहक, नैदानिक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं। विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं भारत के 18 राज्यों में 19 मेडिकल कॉलेजों में स्थित क्षेत्रीय जरा चिकित्सा केंद्रों (आरजीसी) में और दो राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्रों (एनसीए) - एक एम्स, अंसारी नगर, नई दिल्ली और दूसरा मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

*****